न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 443/2018

CMS NO. : 2018/00363

–:: प्रार्थीगण ::–

1. रामकिशोर पुत्र नन्दकिशोर
2. सुनिलकुमार पुत्र नन्दकिशोर
3. सोहनदेवी पत्नी नन्दकिशोर

जाति– ब्राहम्ण निवासी– निमाज तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. नथुलाल पुत्र कुंजबिहारी के कायम मुकाम
   - 1/1. गिरीराज पुत्र नथुलाल
   - 1/2. नवीन उर्फ रामकिशोर पुत्र नथुलाल
   - 1/3. भगवती देवी पत्नी नथुलाल
2. विरेन्द्र कुमार पुत्र कुंजबिहारी
3. जेठमल पुत्र राधाकिशन
4. गोपीकिशन पुत्र राधाकिशन

जाति– ब्राहम्ण निवासी– निमाज तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — **तारीख रजू: 25/09/2018**

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– — **दिनॉकः 28/12/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल संख्या 1 व 2 के पिता व गैरसायलान संख्या 1/1 व 1/2 के दादा व गैरसायल संख्या 2 के पिता तथा गैरसायल संख्या 3 व 4 सगे भाई तथा राधाकिशन के वारिसान है। प्रस्तुत वंशावलीनुसार राधाकिशनजी के सबसे बड़े लड़के कांजबिहारीजी आज से करीब वर्ष पूर्व दिनांक 20.11.1941 में केशर बेवा रामलाल पुत्र माधुजी जाति ब्राहाणा निवासी निमाज के गोद गये जिसकी गोदनामा की रजिस्ट्री ठिकाना निमाज से हुई तथा राधाकिशनजी की बही में गोद का लिखित है। कुंजबिहारीजी गांद जाने के बाद अपने पिता की सम्पति/आराजी में कानूनन कोई हक व अधिकार नही रहा व कुंजविहारीजी गोद जाने के बाद राधाकिशनजी के पुत्र भीनही रहे नकल गोदनामा पेश है। सह [illegible] निमाज चक–1 में सायलान व गैरसायलान की सामलाती [illegible] नम्बर 568 रकबा 0–03 बीघा गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 569 [illegible] 20–02 बीघा किस्म चाही चारम कुल रकबा 20–05 बीघा आई हुई है। जो [illegible] राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज है। उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि के नाम से जानी जावेगी। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की पेश है। पद संख्या दो में वर्णित कृषि भूमि को राधाकिशनजी ने अपने जीवन काल में संवत 2017 को भींजाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

जाराम जातरा घोडावड (हाला) कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण को बैचान र दी परन्तु कोल मुताबिक रजिस्ट्री नही हो सकी तथा बाद में उक्त भूमि जो की ग वैधनाथरी दिमडी को पुनः नन्दकिशोर पुत्र राधाकिशनजी को दे दी व रकम भी न्दकिशोर ने भींजारामजी को दे दी। उस लिखित में भी यह काथन आये कि उक्त मि में राधाकिशनजी के अन्य पुत्रों का कोई हक व अधिकार नही है। इस बावत् क लिखित भी मदनलालजी वैष्णव ने साक्षी की मौजूदगी में दिनांक 09.04. 962 को कर दी। जिसे भी सावित है कि उक्त कृषि के एकमात्र खामित्व तथा ब्रातेदारी अधिकार सायलान के ही तथा कम्जा काश्त सायलान व उनके पिता नन्दकिशोर का पिछले 56 पीसे पला आ रहा है। गैरसायलान संख्या 1/1 व 1/2 के पिता व दादा गैरसायल संख्या 2 के पिता करवा निमाज में नही रहकर शहर जोधपुर में रहते है तथा सायल संख्या 3 अहमदाबाद, गैरसायल 4 सिक्का (गुजरात) में गाय परिवार के रहते है उनका उक्त कृषि भूमि को कय अधिकार नाही या नही उस भाषि भूमि में कब्जा का है। यह संख्या में वर्णित विजन में पिछले 6 वर्षो से कब्जा व काश्त निरन्तर रूप से सायलान का इसके पूर्व इनके पिता नन्दकिशोर का गैरसायलान की जानकारी मे चला आ रहा है। सायल संख्या 1 व 2 के पिता नन्दकिशोर व गोपीकिशन, जेठमल के विरुद्ध गैरसायल नथुलाल के पिता कुंजबिहारी ने एक बंटवाड़ा व स्थाइ निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो वर्तमान में लम्बित है। वाद के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में कुंजविहारी का कोई हक व अधिकार नही था न है तथा इनके वारिसान का भी उक्त भूमि में कोई हक व अधिकारी नही है। क्योकि कुंजबिहारी केशर पत्नी रामलाल के गोद चले गये इस कारण से उनका प्रार्थना में विवादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकारी नही रहता है तथा जमाबन्दी में दर्ज अन्य खातेदार गैरसायल संख्या 3 व 4 उक्त भूमि से आऊट आफें पजेशन है। सायल के पिता ने गैरसायलान के विरुद्ध पूर्व में एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या संख्या 63/2005 व एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144/2013 दिनांक 08.07. 2005 पेश किया जो दिनांक 30.06.2017 को प्रशासन ग०वों के संग चलाये जा रहे राजस्व केम्प अभियान में आदेश 9 नियम 05 में खारिज कर दिया गया। जबकि प्रशासन गाँवों के संग अभियान में कोई वाद खारिज नही किया जा सकता हैं तथा वकील सायलान ने गैरसायलान की तलबी हेतु तलवाना इसलिए पेश नही किया कि गैरसायलान के अभिवक्ता ने कहा की वकालतनामा प्रस्तुत कर देगें। इस कारण से वकील सायलान ने तलबाना पेश नही [illegible] राजस्व केम्प में निमाज मे वकील सायलान उपस्थित हुयें। जहां तक घोषणा के [illegible] में किसी प्रकार से म्याद अवधि लागु नही होने के कारण सायलान [illegible] यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। सायलान का वाद खारिज होने पर दिनांक 27.08. 2018 को गैरसायलान ने सायलान को यह एलानिया धमकी दी [illegible] सायलान का वाद खारिज हो गया है तब सायलान अपने अधिवक्ता से मिले तब यह जानकारी हुई की वाद राजस्व केम्प निमाज में दिनांक 30.06.2017 को खारिज हो गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested.

जकारी होते ही यह वाद प्रस्तुत किया है। यदि विवाद ग्रस्त कृषि भूमि को सायलान बैचान, हस्तान्तरण करेगे व रहन रखेगें तथा सायलान को विवादग्रस्त षि भूमि से बेदखल करेगे व सायलान को उनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी रते है तो सायलान के हक हो सकेगी। मात्र जमाबन्दी में नाम इन्द्राज होने के धार पर प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि को यदि गैरसायलान बैचान, हस्तान्तरण कर ते है तो सायलान अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होगे। सायल के पथ पत्र दस्तावेज व मौके पर कब्जा काश्त होने से सायलान के पक्ष में प्रथम ष्टया मामला है तथा मौके पर कब्जे होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। यदि गैरसायलान मात्र कागजों में नाम होने आधार पर विवादित भूमि को बैचान, हस्तान्तरण कर देते है व रहन रखतें है तथा लाठी व धन बल के आधार पर भूमि से बेदखल कर कब्जा कर लेते हैं व सायलान के कब्जे काश्त में खल दस्तन्दाजी करते है तो सायलान को असिम हानि होगी जिसका मुल्यांकन किसी सूरत में संभव नही हो सकेगा व पक्षकारान के बीच अनावश्यक मुकदमें बाजी होगी। इसलिए उक्त कृत्यों को रोके जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र सायलान ने विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 20-02 बीघा में सायलान कास्त के मुतालिक कुल कार्य खड़ाई, बुवाई व कटाई करे या करावें तो उसमें गैरसायलान किसी प्रकार की दखल दसन्तदाजी नही रके जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें व दौरानें वाद उक्त भूमि को गैरसायलान बैचान, हस्तान्तरण नही करे व न रहन रखे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावें तथा अन्य कोई आदेश जो सायलान के पक्ष में हो दिलाया जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

1. ***प्रथम दृष्ट्या मामला*** :- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी सहरद मौजा नि[illegible] 1 के खसरा नम्बर 568 रकबा 0-03 बीघा गै0मु0 रास्ता [illegible] 20-05 बीघा के सम्बन्ध [illegible] अस्थाई 20-02 बीघा किस्म चाही चारम कुल रकबा 20-05 बीघा के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ए[illegible] अप्रार्थीगण राधाकिशन जी के वारिसान है, राधाकिशन जी के चार पुत्रः- 1. कुंजबिहारी, 2. नन्दकिशोर, 3. गोपीकिशन, व 4. जैठमल है। प्रार्थीगण नन्दकिशोर जी के वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तथा अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 नत्थूलाल के वारिसान है तथा नत्थूलाल व न्द्रकुमार कुंजबिहारी के वारिसान है। राधाकिशन जी के सबसे बडे पुत्र ाबिहारी जी 20.11.1941 को केसर बेवा रामलाल ब्राह्मण निवासी निमाज के : चले जाने तथा ठिकाना निमाज से पंजीकृत गोदनामा होने से उनका वादग्रस्त राजी में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहता है। साथ ही प्रार्थीगण के दादा ाकिशन जी ने सम्वत् 2017 में भींजाराम पुत्र सुजाराम कुमावत निवासी माज के पक्ष में बैचान कर दी परन्तु रजिस्ट्री नहीं हो सकी तथा नन्दकिशोर पुत्र धाकिशन जी ने उक्त भूमि भींजाराम पुत्र सुजाराम से पुनः प्राप्त कर ली तथा क़म अदा कर दी गई। उस समय हुई लिखत में यह कथन आये है कि उक्त ूमि में राधाकिशन जी के अन्य पुत्रों का कोई हक अधिकार नहीं होगा। जिससे ाबित होता है। वादग्रस्त भूमि में एकमात्र स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार ार्थीगण को ही प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा इस बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा ा वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

चुंकि अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने के कारण जवाब प्रार्थनापत्र रेकर्ड पर नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम निमाज प्रथम के अनुसार वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की सहखातेदारी भूमि हैं। प्रार्थीगण द्वारा कोई पंजीकृत दस्तावेजात् एवं उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं कि गई। केवल कथित लिखित की अप्रमाणित फौटोप्रति प्रस्तुत है। जिसके आधार पर यह साबित नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया मामल केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही निहित है। अपंजीकृत लिखित या इकरार का जब तक सक्षम न्यायालय से क्रियान्वयन नहीं करवा लिया जाता है। तब तक ऐसे दस्तावेजात् का न्यायालय हाजा के लिये कोई मूल्य नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– चूंकि पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित आराजी है तथा ऐसी दशा में अपनें हक–हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार को उसके उपयोग एवं उपयोग करनें, उसे विकसित करनें तथा उसकी संरक्षा करनें का समान अधिकार निहित होता है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि सुविधा संतुलन केवल उनके पक्ष में ही निहित है। अतः बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रार्थीगण ... है, प्रार्थीगण यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे है, कि या उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो उन्हें किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होना संभव है। जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थीगण द्वारा कथित अपंजीकृत लिखित की फोटोप्रति के अलावा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है।अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना धिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र ार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नेयम 01 व 02 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। त्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:30:04 IST
Reason: SelfAttested